

न्यायालय तहसीलदार बयाना (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी—श्री गिर्राज प्रसाद बंसल तहसीलदार बयाना)

प्र०स० ४५/२०... ता० रजु... 6-1-२० किरम मुकदमा 91 एलआर एक्ट निर्णय दिनांक 4-२-२०२०

सरकार

बनाम

नवल सिंह पुत्र रतीराम जाट व खरगावली तह० बयाना जिला—भरतपुर।

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। पटवारी हल्का खरगावली ने एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की है कि ग्राम खरगावली के खसरा न० 594 रकबा ०.०४ हैक्ट में से रकबा ०.०६ हैक्ट किस्म भूमि चारागाह पर सम्बत 2076 में श्री नवल सिंह पुत्र रतीराम जाट व खरगावली तह० बयाना ने गेहूँ कर अतिक्रमण कर लिया है।

हल्का पटवारी रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण धारा 91 एल.आर.एक्ट के तहत दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। जो शामिल मिसिल है। अप्रार्थी द्वारा उपस्थित होकर अपना जबाव पेश किया। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन उपरान्त न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अप्रार्थी के विरुद्ध न्यायिक कार्यवाही अमल में लायी जाना आवश्यक है। अतिक्रमी को अतिक्रमित आराजी से बेदखल करना राज्यहित में आवश्यक है।

अतः आदेश है कि अतिक्रमी के विरुद्ध न्यायिक कार्यवाही कर अतिक्रमित खसरा नम्बर 594 रकबा ०.०४ हैक्ट वाके ग्राम खरगावली से बेदखल किया जाता है। लगान ०.९६ का 50 गुणा पैन्ल्टी राशि 48/- रुपये से दण्डित किया जाता है। पैन्ल्टी की मांग कायमी टी०आर०ए० हाजा से कराई जावे। पैन्ल्टी वसूली एवं फसल नीलामी हेतु पटवारी हल्का एवं भू-अभिलेख निरीक्षक को आदेश जारी हो।

पत्रावली फौसल शुमार हो। बाद तकमील नम्बर से कम हो। दाखिल दफतर हो। निर्णय आज दिनांक 4-२-२०२० को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

हल्का पत्रावली की मांग सामग्री
श. जे. सं. 04 के पत्र नं 32
दिनांक 5/2/20
पैन्ल्टी रु 48/-
तहसीलदार बयाना
नवल सिंह पुत्र रतीराम जाट व खरगावली

तहसीलदार
बयाना (भरतपुर)

